सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-03/2024/904/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक- 07 अक्टूबर, 2024**

विषय- मुख्यालय/ जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में माननीय जनप्रतिनिधियों के बैठने हेतु उनके प्रोटोकाल के अनुसार समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

माननीय संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन हेतु संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में शासनादेश दिनांक-03-10-2023 एवं 05-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वेबसाइट https://www.shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

2- अवगत कराना है कि माननीय विधान सभा सदस्यों के प्रोटोकाल-उल्लंघन संबंधी प्रकरणों पर विचार-विमर्श हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में विधान सभा की माननीय संसदीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 06-09-2024 को सम्पन्न हुई बैठक में विचार-विमर्श के क्रम में माननीय सदस्यगण द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में यह लाया गया कि मुख्यालय/ जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों, जिनमें माननीय सदस्यगण को आमंत्रित किया जाता है, उनमें अधिकारीगण अपेक्षाकृत ऊँची एवं सुसज्जित (टॉवेलयुक्त) कुर्सियों पर बैठते हैं, जबकि माननीय सदस्यों के बैठने हेतु सामान्य कुर्सियां लगी होती हैं या अधिकारीगण सोफे पर बैठकर बैठक करते हैं तथा माननीय सदस्य कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, जो कि घोर आपत्तिजनक है।

3- उल्लेखनीय है कि माननीय जनप्रतिनिधि (माननीय सांसद एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण) राज्य सरकार द्वारा निर्गत 'सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस' में एक निर्धारित/ उच्चतर प्रास्थिति रखते हैं। उपरोक्त प्रस्तर-2 में वर्णित व्यवस्था 'सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस' का खुला उल्लंघन है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्यालय/ जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों में आमंत्रित माननीय संसद सदस्य/ राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण हेतु उनके प्रोटोकाल के अनुरूप बैठने की सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा माननीय सदस्यों के बैठने हेतु उक्त के अनुरूप ही सुसज्जित कुर्सियाँ लगायी जायें। इसके अतिरिक्त यदि अधिकारीगण सोफे पर बैठकर बैठक करते हैं तो माननीय सदस्यगण को भी सम्मानपूर्वक सोफे पर बैठाने की व्यवस्था की जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2024/904(1)/90-सं0शि0प0का0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 विधान सभा को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

2- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

6- विशेष सचिव, विधान सभा सचिवालय, समिति (सामान्य) अनुभाग-3

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गौरव कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।